आवेदन क्र. 610/18 स्टे न्याया. आयुक्त के प्र.क्र. 408/...

(फोटो कापी)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प,भोपाल

निगरानी - 5654/2018/ बैतूल/भू.रा.

अधिवक्ता श्री आनंद शर्मा जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत।
24/08/18
A.S.

महादेव वल्द मारूति आयु करीब 60 वर्ष

निवासी साकिन हिबरखेड,तहसील मुलताई,

जिला बैतूल ....अपीलार्थी

बनाम

ज्ञानदेव वल्द गणपति साहू आयु करीब 45 वर्ष

सकिन हिबरखेड,तहसील मुलताई,

जिला बैतूल ....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आयुक्त कार्यालय होशंगाबाद द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत।
28/8/18

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग के अपील प्रकरण कमांक-408/अपील वर्ष 2017–18 महादेव साहू व अन्य बनाम ज्ञानदेव साहू में पारित आदेश दिनांक 30.07.2018 से व्यथित व दुखित होकर उक्त पुनरीक्षण याचिका समयावधि में प्रस्तुत की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 5654/2018/बैतूल/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-12-2018	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री आनन्द शर्मा द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-7-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में आवेदक को 81 वर्गमीटर भूखण्ड का पटटा दिया था, जिसे बिना सक्षम पुनर्विलोकन की अनुमति लिये निरस्त कर 128.17 वर्गमीटर का नया पट्टा जारी किया गया है, जो कि अनुचित एवं अनियमित कार्यवाही है। उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा कोई भूल नहीं की गई । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	